भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03022025-260724 SG-DL-E-03022025-260724

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

No. 36]

दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/ माघ 11, 1946

DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/ MAGHA 11, 1946

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 372

[N. C. T. D. No. 372

### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## पर्यावरण विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा0 सं0 डीपीसीसी / (12)(1)(493) प्रयोग0(ए) / 2024 / पार्ट फाइल-ए / 6999: — जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 06) की धारा 52 की उप—धारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जल प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य जल प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य जल प्रयोगशाला के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव रंजन, संयुक्त सचिव (पर्यावरण)

### DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2025

F. No. DPCC/(12)(1)(493)Lab(A)/2024/Pt-A/6999—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) (b) of section 52 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 06 of 1974), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby specifies the Water Laboratory of the Delhi Pollution Control Committee as the State Water Laboratory to carry out the functions entrusted to the State Water Laboratory under the said Act.

This notification shall come into force with effect from the date of the publication in the official Gazette

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV RANJAN, Jt. Secy. (Environment)